भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 396

(15 सितंबर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु निधि

396. श्री सुधीर गुप्ताः

सुश्री दिया कुमारीः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि कुल आवश्यक राशि से कम है और यदि हां, त तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत द वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास यजना (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत प्रदान की गई राशि और इससे लाभांवित हने वाले नागरिकों के ब्यौरे सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार क जानकारी है कि कई राज्य धनराशि जारी नहीं कर रहे हैं और यदि हां, त तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का व्यक्तिगत भवन निर्माण के लिए राशि बढ़ाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, त तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक बढ़ने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, त इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): ''सभी के लिए आवास'' के लक्ष्य क 2022 तक हासिल करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास यजना 'इंदिरा आवास यजना' (आईएवाई) क 1 अप्रैल, 2016 से प्रधान मंत्री आवास यजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में पुनर्गठित कर दिया गया है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों क मकान के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रु. और पर्वतीय राज्यों,

दुर्गम क्षेत्रों तथा आईएपी जिलों में 1.30 लाख रु. की इकाई सहायता दी जाती है। केंद्र सरकार पीएमएवाई-जी के तहत मकानों के निर्माण के लिए लाभार्थियों क सहायता देती है। कुछ राज्य तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश इत्यादि लाभार्थियों क पूरक धनराशि भी देते हैं।

पीएमएवाई-जी लाभार्थियों क इकाई सहायता के अतिरिक्त निम्नलिखित लाभ भी दिए जाते हैं:

i. मकान निर्माण के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण राजगार गारंटी के तहत 90/95 दिनों का अकुशल श्रम उपलब्ध कराया जा रहा है।
ii. पात्र पीएमएवाई-जी लाभार्थियों क स्वच्छ भारत मिशन (जी), मनरेगा याजना या किसी अन्य समर्पित वित्तपाषण स्रात से शौचालय बनाने के लिए 12,000/- रु. भी दिए जाते हैं।
iii. पीएमएवाई-जी लाभार्थियों क मकानों के निर्माण हेतु स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्रियों और तकनीकों का प्रयाग करके स्थानीय भौगलिक-जलवायु परिस्थितियों क अनुरूप मकान के डिजाइन का विकल्प मिल जाता है।

iv. एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रधान मंत्री उज्ज्वला याजना (पीएमयूवाई) के साथ, सौभाग्य याजना के तहत बिजली कनेक्शन और जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेय जल के लिए तालमेल इत्यादि।

(ख): पिछले द वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों क केंद्रीय अंश की रिलीज तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों क आवंटित मकानों का ब्यौरा क्रमश: **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): पीएमएवाई-जी की कार्यान्वयन रूप रेखा के अनुसार राज्य क राज्य समेकित निधि क 15 दिनों के भीतर राज्य स्तर पर याजना के राज्य नाडल खाते में अंतरित करना हाता है। केंद्रीय अंश की अगली किस्त तब तक रिलीज नहीं की जाती है जब तक संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सदृश राज्य अंश रिलीज नहीं कर दिया जाता है।

(घ) से (च): पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों के लिए इकाई सहायता क बढ़ाने का काई प्रस्ताव इस समय मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 15.09.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 396 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत जारी की गई निधियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	18605.43	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3	असम	24408.39	143397.4	150342.5
4	बिहार	444932.117	490296.78	131677.4
5	छत्तीसगढ़	263695.439	56254.5	0.00
6	गाव्रा	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	68219.855	38556	0.00
8	हरियाणा	2839.56	3455.281	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	1468.94	0.00	267.73
10	जम्मू और कश्मीर	22683.112	6768.91	42771.22
11	झारखंड	173352.475	244276.058	84420.84
12	कर्नाटक	18822.48	30960	0.00
13	केरल	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	425042.66	229197.575	220980.65
15	महाराष्ट्र	113552.925	181532.687	64686.35
16	मणिपुर	429.975	1030.2707	5295.01
17	मेघालय	12621.226	2260.206	5116.53
18	मिजाव्रम	2923.825	0.00	1091.47
19	नागालैंड	0.00	0.00	1739.92
20	ओडिशा	329032.427	219733.14	280242.87
21	पंजाब	0.00	0.00	1271.2
22	राजस्थान	234013.32	293333.75	15626.88
23	सिक्किम	0.00	65.033	0.00
24	तमिलनाडु	50279.81	48752.12	0.00
25	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00
26	त्रिपुरा	765.981	22952.362	11361.69
27	उत्तर प्रदेश	277585.808	114564.409	8689.4
28	उत्तराखंड	9598.3	0.00	0.00
29	पश्चिम बंगाल	437284.79	597600	191283.73
30	अण्डमान और निकाव्रार	0.00	0.00	359.616
31	दादरा और नागर हवेली	946.976	5598	0.00
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
33	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
34	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00
	कुल	**2933105.821**	**2730584.482**	**1217225.006**

स्रोत: व्यय नियंत्रण रजिस्टर
दिनांक 11.09.2020 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2020-21 में रिलीज

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 15.09.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 396 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवंटित किए गए मकान		
		2018-19	2019-20	2020-21
1	अरुणाचल प्रदेश	0	7500	15321
2	असम	0	256043	365976
3	बिहार	0	1302259	806698
4	छत्तीसगढ़	348960	151100	648867
5	गाव्रा	0	0	1280
6	गुजरात	0	130301	131674
7	हरियाणा	0	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	0	900	6578
9	जम्मू और कश्मीर	0	62932	64097
10	झारखंड	138884	322000	431066
11	केरल	0	0	0
12	मध्य प्रदेश	565914	600000	1006736
13	महाराष्ट्र	68464	354501	405077
14	मणिपुर	0	8900	15842
15	मेघालय	0	17200	29936
16	मिजाव्रम	0	1500	11581
17	नागालैंड	0	5900	10002
18	ओडिशा	255958	740464	689990
19	पंजाब	0	10000	0
20	राजस्थान	213204	450816	433306
21	सिक्किम	0	0	0
22	तमिलनाडु	21000	200000	0
23	त्रिपुरा	0	28838	0
24	उत्तर प्रदेश	310764	178900	0
25	उत्तराखंड	0	0	0
26	पश्चिम बंगाल	586333	1083488	923505
27	अण्डमान और निकाव्रार	500	400	753
28	दादरा और नगर हवेली	4665	0	0
29	दमन और दीव	0	0	0
30	लक्षद्वीप	0	0	0
31	पुदुचेरी	0	0	0
32	आंध्र प्रदेश	0	0	0
33	कर्नाटक	0	86000	151715
34	तेलंगाना	0	0	0
35	लद्दाख	0	0	0
	कुल	**2514646**	**5999942**	**6150000**

स्रोत: 12.09.2020 को आवास सॉफ्ट की A2 रिपोर्ट